

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

क्षेत्रीय अधिकारी:- राकेश कुमार मीना आर.ए.एस, उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

अनुवान

विरेन्द्र सिंह वगैरा बनाम गुरमेल सिंह वगैरा

राजस्व वाद : खाता तकरसीम व इस्तकरार हक

नम्बर मुकदमा - 24/2022

निर्णय दिनांक:-



- 1 विरेन्द्र सिंह पुत्र धर्म सिंह
- 2 अमृतपाल कौर पत्नी विरेन्द्र सिंह
- 3 गुरमीत सिंह | पि. धर्म सिंह
- 4 मनजीत सिंह
- 5 मलकीत सिंह

जाति जटसिख सा. नाथवाना
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादीगण

बनाम

- 1 गुरमेल सिंह पुत्र धर्म सिंह(फौत)
- 1/1 विरेन्द्र कौर पत्नी गुरमेल सिंह
- 1/2 रमनदीप कौर पुत्री गुरमेल सिंह
- 1/3 अमनदीप कौर पुत्री गुरमेल सिंह
- 2 गुरप्रीत सिंह पुत्र प्रकाश सिंह
- 3 सतपाल सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह
- 4 गुरसेवक सिंह | पि. नत्था सिंह
- 5 प्रकाश सिंह
- 6 किन्द्रपाल कौर पत्नी सतपाल सिंह
- 7 शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. संगरिया तह. संगरिया
- 8 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कोर्ट रोड संगरिया तह. संगरिया
- 9 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया तह. संगरिया
- 10 शाखा प्रबन्धक वी.ओ.सी. शाखा संगरिया तह. संगरिया
- 11 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

जाति जटसिख सा. नाथवाना
तह. संगरिया हाल आबाद
क्वाटर न. 4/10 सिविल लाईन
श्री गंगानगर तह. व जिला श्रीगंगानगर

जाति जटसिख सा. नाथवाना
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- प्रतिवादीगण

उपस्थित

- 1 श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू - अधिवक्ता वादीगण
- 2 श्री अनिल कुमार शर्मा - अधिवक्ता प्रति स. 2 ता 6
- 3 श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल - अधिवक्ता प्रति स. 7
- 4 श्री भीम पारीक - अधिवक्ता प्रति स. 10

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। वादीगण के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक 5एम.जे.डी. खाता स. 41/22 खाता मलकीत सिंह ज.स. 2070-73 तथा चक 8 एन.टी.डब्ल्यू खाता स. 4/2 खाता अमृतपाल कौर तथा इसी चक के खाता स. 21/40 खाता गुरप्रीत सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 22/20 खाता गुरमीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 45/39 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खाता स. 46/41 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 69/60 खाता मनजीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 73/65 खाता मलकीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 100/87 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 101/88 खाता विरेन्द्र सिंह ज.स. 2073-76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के उक्त खातों की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण तथा प्रति स. 1 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी तथा विरास्तन आराजी है। वादीगण तथा प्रतिस . 1 ने अपने संयुक्त परिवार की उक्त वादग्रस्त आराजी का आपस में सांझा खाता के सहहिस्सेदारान के साथ काशत की सुविधाओ को मददेनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी मंदी अनुसार तथा खाला व रास्ता की सुविधानुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक अपना खाता अलग अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चली आ रही है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काशतकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम करवा दो ता पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है। अतः वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अंकन किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 41/44 ज.स. 2070-73 में वादी स. 5 के नाम दर्ज कुल 0.506 है० आराजी वादी स. 3 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 5 मलकीत सिंह पुत्र धर्म सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 8 एन.टी.डब्ल्यु खाता स. 4/2 ज.स. 2073-76 में दर्ज कुल 0.506 है० आराजी वादी स. 3 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादीया स. 2 अमृतपाल कौर पत्नी विरेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 21/40 में वादी स. 1 तथा वादी स. 3 ता 5 के नाम दर्ज कुल 1.518 है० आराजी मे से 1.265 है० आराजी वादी स. 4 के नाम तथा 0.253 है० आराजी वादी स. 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 1 व 3 विरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह पि. धर्म सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 22/20 में दर्ज कुल 1.772 है० आराजी मे से 0.950 है० आराजी वादी स. 1 के नाम तथा 0.822 है० आराजी वादीया . 2 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 46/41 में दर्ज कुल 0.759 है० आराजी मे से 0.506 है० आराजी वादी स. 5 के नाम तथा 0.253 है० आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 69/60 में दर्ज कुल 1.012 है० आराजी में से 0.506 है० आराजी वादी स. 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 4 का 0.506 है० हिस्सा कम किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 73/65 में दर्ज कुल 0.506 है० आराजी वादी स. 3 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 5 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 100/87 में दर्ज कुल 2.277 है० आराजी मे 4/5 हिस्सा वादी . स 3 के नाम तथा 1/5 हिस्सा प्रति स. 1 गुरमेल सिंह पुत्र धर्म सिंह के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से वादी स. 1 तथा 4 व 5 का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीमेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रति स. 1 के फौत होने पर अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रति स. 1 के वारिसान को बतौर प्रति स. 1/1 ता 1/3 के रूप में पक्षकार बनाया गया। प्रति स. 1/1 ता 1/3 व 8-9 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. होने पर इनके हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति स. 2 ता 6 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। प्रति स. 7 व 10 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रति स. 11 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 विरेन्द्र सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जाकाशत की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक/रीडर/23/61 दिनांक 22-09-2023 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाशतकार है। प्रति स. 2 ता 6 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादीगण के वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काशत रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 41/22 खाता मलकीत सिंह ज.स. 2070-73 तथा चक 8 एन.टी.डब्ल्यू खाता स. 4/2 खाता अमृतपाल कौर तथा इसी चक के खाता स. 21/40 खाता गुरप्रीत सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 22/20 खाता गुरमीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 45/39 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 46/41 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 69/60 खाता मनजीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 73/65 खाता मलकीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 100/87 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 101/88 खाता विरेन्द्र सिंह ज.स. 2073-76 में साझा खातो में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 5 एम.जे.डी. खाता स. 41/22 खाता मलकीत सिंह ज.स. 2070-73 तथा चक 8 एन.टी.डब्ल्यू खाता स. 4/2 खाता अमृतपाल कौर तथा इसी चक के खाता स. 21/40 खाता गुरप्रीत सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 22/20 खाता गुरमीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 45/39 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 46/41 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 69/60 खाता मनजीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 73/65 खाता मलकीत सिंह तथा इसी चक के खाता स. 100/87 खाता विरेन्द्र सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 101/88 खाता विरेन्द्र सिंह ज.स. 2073-76 एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण सह काशतकार है। प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारों का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काशत

सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करते चले रहे है। वर्तमान में भी कब्जाकाशत बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नहीं आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 76/39 में कुल रकबा 1.771 है व खाता संख्या 104/43 में कुल रकबा 1.012 है व खाता संख्या 77/65 में कुल रकबा 0.506 है व खाता संख्या 4/2 में कुल रकबा 0.506 है व खाता संख्या 70/60 में कुल रकबा 1.012 है व खाता संख्या 103/40 में कुल रकबा 0.759 है व खाता संख्या 22/20 में कुल रकबा 1.771 है व खाता संख्या 21/6 में कुल रकबा 3.036 है व खाता संख्या 105/32 में कुल रकबा 2.277 है व चक 5 एमजेडी के खाता संख्या 51/44 में कुल रकबा 0.506 है में मौके पर कब्जा काशत की

मुनि:-

विरेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह 1.962 है अमृतपालकौर पत्नी विरेन्द्रसिंह 0.822 है जाति जटसिख सा. नाथवाना 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 76/39 व 104/43 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं. 15/1/0.228 है 15/2/0.025 है गै.मु. खाला 16/1/0.228 है 16/2/0.025 है गै.मु. 17,18,19,20,21,22/0.253 है प्र 23,24/0.253 है प्र 25/1/0.228 है 25/2/0.025 है गै.मु. खाला कुल रकबा 2.784 है नहरी मय गै.मु.

2. गुरमीतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख सा नाथवाना चक 5 एमजेडी के खाता सं. 51/44 के प.न. 166/181 मु.न. 13 किला नं. 4,5/0.253 है प्र कुल रकबा 0.506 है नहरी व चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.4/2 के प.न. 167/176 मु.न. 26 किला नं. 7,8/0.253 है प्र कुल रकबा 0.506 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 77/65 के प.न. 167/181 मु.न. 51 किला नं. 1/1/0.228 है 1/2/0.025 गै.म. खाला 10/1/0.228 है 10/2/0.025 है गै.मु. खाला कुल रकबा 0.506 है कुल खातो का योग 1.518 है नहरी मय गै.मु.

3. मनजोतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना के चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 70/60 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं. 11,12/0.253 है प्र कुल 0.506 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 21/6 के प.न. 169/171 मु.न. 9 किला नं. 4/1/0.228 है 4/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 7,8,9,10/0.253 है प्र कुल 1.265 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.22/20 के प.न. 169/171 मु.न. 9 किला नं. 2/1/0.228 है 2/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 3/1/0.228 है 3/2/0.025 है गै.मु. रास्ता कुल 0.506 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.103/41 के प.न. 169/171 मु.न. 9 किला नं. 1/1/0.228 है 1/2/0.025 है गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है कुल खातो का योग 2.530 है नहरी मय गै.मु.

4

मलकीतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना के चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 22/20 के प.न. 169/170 मु.न. 4 किला नं. 1,2,10,11,22/0.253 है प्र कुल 1.265 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 103/41 के प.न. 169/170 मु.न. 4 किला नं. 20,21/0.253 है प्र कुल रकबा 0.506 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.21/6 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं 6/1/0.228 है 6/2/0.025 है गै.मु. खाला कुल 0.253 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.70/60 के प.न. 168/171 मु. न. 8 किला नं. 13,14/0.253 है प्र कुल 0.506 है कुल खातो का योग 2.530 है नहरी मय गै.मु.

5

गुरमीतसिंह पुत्र धर्मसिंह 4/5 हि व गुरमेलसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/5 हि जाति जटसिख सा. नाथवाना के चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.105/32 के प.न. 167/175 मु.न. 21 किला नं. 22,23,24/.0253 है प्र 25/1/0.228 है 25/2/0.025 है गै.मु. रास्ता प.न. 167/176 मु.न. 26 किला नं. 2/0.228 है 2/2/0.025 है गै.मु. खाला 3/1/0.228 है 3/2/0.025 है गै.मु. खाला 4/1/0.228 है 4/2/0.025 है गै.मु. खाला 5/1/0.202 है 5/2/0.051 है गै.मु. रास्ता/खाला 6/1/ 0.228 है 6/2/0.025 है गै.मु. रास्ता कुल 1.265 है कुल खातो का योग 2.277 है नहरी मय गै.मु.

6

किन्दरपालकौर पत्नी सतपालसिंह 1/8 हि राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया सतपालसिंह पुत्र गुरसेवकसिंह 1/8 हि राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया गुरसेवकसिंह पुत्र नथासिंह 1/4 हि स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया प्रकाशसिंह पुत्र नथासिंह 1/4 हि राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया गुरप्रीतसिंह पुत्र प्रकाशसिंह 1/4 हि राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया जाति जटसिख सा. नाथवाना चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 21/6 प.न. 168/170 मु.न. 5 किला नं. 5/1/0.202 है 5/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 5/3/0.026 है गै.मु. खाला 6/1/0.228 है 6/2/0.025 है गै.मु. 15/1/0.228 है 15/2/0.025 है गै.मु. खाला 16/1/0.228 है 16/2/0.025 है गै.मु. खाला 25/1/0.228 है 25/2/0.025 है गै.मु. खाला प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं. 5/1/0.202 है 5/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 5/3/0.026 है गै.मु. खाला कुल रकबा 1.518 है नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भुअ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.क्रमांक/रीडर/23/61 दिनांक 22-09-2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट:-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमें

के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

वसवत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक... को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक क्लर्क एव
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6-7जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : इस्तकरार हक व खाता विभाजन

- 1 विरेन्द्र सिंह पुत्र धर्म सिंह
- 2 अमृतपाल कौर पत्नी विरेन्द्र सिंह
- 3 गुरमीत सिंह | पि. धर्म सिंह
- 4 मनजीत सिंह
- 5 मलकीत सिंह

जाति जटसिख सा. नाथवाना
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादीगण

बनाम

- 1 गुरमेल सिंह पुत्र धर्म सिंह(फौत)
- 1/1 सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरमेल सिंह
- 1/2 रमनदीप कौर पुत्री गुरमेल सिंह
- 1/3 अमनदीप कौर पुत्री गुरमेल सिंह

जाति जटसिख सा. नाथवाना
तह.संगरिया हाल आबाद
क्वाटर न. 4/10 सिविल लाईन
श्री गंगानगर तह. व जिला श्रीगंगानगर

- 2 गुरप्रीत सिंह पुत्र प्रकाश सिंह
- 3 सतपाल सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह
- 4 गुरसेवक सिंह | पि. नत्था सिंह
- 5 प्रकाश सिंह
- 6 किन्द्रपाल कौर पत्नी सतपाल सिंह

जाति जटसिख सा. नाथवाना
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. संगरिया तह. संगरिया

8 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कोर्ट रोड संगरिया तह. संगरिया

9 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया तह. संगरिया

10 शाखा प्रबन्धक बी.ओ.सी. शाखा संगरिया तह. संगरिया

11 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- प्रतिवादीगण

मु.स 24/2022 , दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु वादीगण की ओर से श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. व प्रतिस. 2 ता 6 की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा व प्रति स. 7 की ओर से श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल व प्रति स. 10 की ओर से श्री भीम पारीक एड. दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :-

चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 76/39 में कुल रकबा 1.771 है व खाता संख्या 104/43 में कुल रकबा 1.012 हैं व खाता संख्या 77/65 में कुल रकबा 0.506 है व खाता संख्या 4/2 में कुल रकबा 0.506 हैं व खाता संख्या 70/60 में कुल रकबा 1.012 है व खाता संख्या 103/40 में कुल रकबा 0.759 हैं व खाता संख्या 22/20 में कुल रकबा 1.771 हैं व खाता संख्या 21/6 में कुल रकबा 3.036 हैं व खाता संख्या 105/32 में कुल रकबा 2.277 हैं व चक 5 एमजेडी के खाता संख्या 51/44 में कुल रकबा 0.506 हैं में मौके पर कब्जा काशत की भूमि:-

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1 विरेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह 1.962 हैं अमृतपालकौर पत्नी विरेन्द्रसिंह 0.822 है जाति जटसिख सा. नाथवाना 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 76/39 व 104/43 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं. 15/1/0.228 हैं 15/2/0.025 हैं गै.मु खाला 16/1/0.228 है 16/2/0.025 हैं गै.मु. 17,18,19,20,21,22/0.253 है प्र 23,24/0.253 हैं प्र 25/1/0.228 है 25/2/0.025 हैं गै.मु. खाला कुल रकबा 2.784 हैं नहरी मय गै.मु.

2 गुरमीतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख सा नाथवाना चक 5 एमजेडी के खाता सं. 51/44 के प.न. 166/181 मु.न. 13 किला नं. 4,5/0.253 हैं प्र कुल रकबा 0.506 हैं नहरी व चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.4/2 के प.न. 167/176 मु.न. 26 किला नं. 7,8/0.253 है प्र कुल रकबा 0.506 हैं चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 77/65 के प.न. 167/181 मु.न. 51 किला नं. 1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 गै.म. खाला 10/1/0.228 है 10/2/0.025 हैं गै.मु. खाला कुल रकबा 0.506 हैं कुल खातो का योग 1.518 हैं नहरी मय गै.मु.

3 मनजीतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना के चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 70/60 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं. 11,12/0.253 हैं प्र कुल 0.506 हैं चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 21/6 के प.न. 169/171 मु.न. 9 किला नं. 4/1/0.228 हैं 4/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 7,8,9,10/0.253 हैं प्र कुल 1.265 हैं चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.22/20 के प.न. 169/171 मु.न. 9 किला नं. 2/1/0.228 हैं 2/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 है गै.मु. रास्ता कुल 0.506 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.103/41 के प.न. 169/171 मु.न. 9 किला नं. 1/1/0.228 हैं 1/2/0.025 है गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है कुल खातो का योग 2.530 हैं नहरी मय गै.मु.

4 मलकीतसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना के चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 22/20 के प.न. 169/170 मु.न. 4 किला नं. 1,2,10,11,22/0.253 है प्र कुल 1.265 हैं चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 103/41 के प.न. 169/170 मु.न. 4 किला नं. 20,21/0.253 है प्र कुल रकबा 0.506 है चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.21/6 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं 6/1/0.228 हैं 6/2/0.025 गै.मु. खाला कुल 0.253 हैं चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.70/60 के प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं. 13,14/0.253 हैं प्र कुल 0.506 है कुल खातो का योग 2.530 है नहरी मय गै.मु.

5 गुरमीतसिंह पुत्र धर्मसिंह 4/5 हि व गुरमेलसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/5 हि जाति जटसिख सा. नाथवाना के चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता सं.105/32 के प.न. 167/175 मु.न. 21 किला नं. 22,23,24/.0253 है प्र 25/1/0.228 हैं 25/2/0.025 हैं गै.मु. रास्ता प.न. 167/176 मु.न. 26 किला नं. 2/0.228 है 2/2/0.025 हैं गै.मु. खाला 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 हैं गै.मु खाला 4/1/0.228 हैं 4/2/0.025 है गै.मु. खाला 5/1/0.202 हैं 5/2/0.051 हैं गै.मु. रास्ता/खाला 6/1/ 0.228 हैं 6/2/0.025 हैं गै.मु. रास्ता कुल 1.265 हैं कुल खातो का योग 2.277 हैं नहरी मय गै.मु.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

किन्दरपालकौर पत्नी सतपालसिंह 1/8 हि राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया
 सतपालसिंह पुत्र गुरसेवकसिंह 1/8 हि राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा
 संगरिया गुरसेवकसिंह पुत्र नथासिंह 1/4 हि स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा
 संगरिया प्रकाशसिंह पुत्र नथासिंह 1/4 हि राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा
 संगरिया गुरप्रीतसिंह पुत्र प्रकाशसिंह 1/4 हि राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा
 संगरिया जाति जटसिख सा. नाथवाना चक 8 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 21/6
 प.न. 168/170 मु.न. 5 किला नं. 5/1/0.202 हैं 5/2/0.025 हैं गै.मु. रास्ता
 5/3/0.026 है गै.मु. खाला 6/1/0.228 हैं 6/2/0.025 है गै.मु. 15/1/0.228
 है 15/2/0.025 है गै.मु. खाला 16/1/0.228 है 16/2/0.025 है गै.मु. खाला
 25/1/0.228 है 25/2/0.025 है गै.मु. खाला प.न. 168/171 मु.न. 8 किला नं.
 5/1/0.202 हैं 5/2/0.025 है गै.मु. रास्ता 5/3/0.026 है गै.मु. खाला कुल
 रकबा 1.518 हैं नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो
 तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में
 अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र
 क्रमांक:- प्रा.क्रमांक/रीडर/23/61 दिनांक 22-09-2023 द्वारा प्राप्त विभाजन
 प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना
 वहन करेंगे।

नोट:-यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा
 डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें
 के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी
 तक.......... को अदा करें।
 बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 29.5.2024 को जारी
 की गई।



(राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 संगरिया